

2018/00239

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम


रायसिंहनगर

~~दयाल सिंह-अनाच्छि-आ-आ-आ~~ बनाम ~~करका~~

किस्म मुकदमा ~~दुरुस्ती~~

मुकदमा नं. 83  
23/5/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/124 दिनांक 23/5/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 117K में प्रार्थीगण के नाम चक 26MP की जमाबन्दी सम्वत् 2023-25 के खाता नं. 21 ... में खातेदार <del>दयाल सिंह-अनाच्छि-आ-आ-आ</del> अंकित है। जिसका नाम <del>दयाल सिंह</del> है। जिसकी <del>दयाल सिंह-अनाच्छि-आ-आ-आ</del> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 23/5/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 26MP के खाता नं. 21 में दर्ज खातेदार <del>दयाल सिंह-अनाच्छि-आ-आ-आ</del> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

  
 उप जिला कलक्टर  
 राजस्व लोक अदालत  
 रायसिंहनगर  
 न्याय आपके द्वार-2018  
 कैम्प कोर्ट 117K  
 उपखण्डधिकारी (सजरा) रायसिंहनगर